## जनपद- हमीरपुर

थाना–साइबर क्राइम

दिनांक 23.09.2026

**कूटरचित ई-केवाईसी के जरिए सिम फार्मिंग करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 37 सिम कार्ड व 02 मोबाइल फोन बरामद, एक्टिवेटेड सिमकार्ड साइबर अपराधियों को बेचकर साइबर अपराधों में कराए जाते थे प्रयुक्त।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अवगत कराना है कि थाना साइबर क्राइम, जनपद हमीरपुर पर दिनांक 21.08.2026 को वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-10/2026 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस व धारा 66(C)/66(D) आईटी एक्ट तथा दिनांक 25.08.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-11/2026 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस व धारा 66(C)/66(D) आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा उक्त घटनाओं के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

**पुलिस कार्यवाही का विवरण-**

आज दिनांक 23.09.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त राहुल यादव को पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 37 सिम कार्ड, 02 मोबाइल फोन एवं ₹600 नकद बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मु0अ0सं0-10/2026 व 11/2026 में विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 61/3(5)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, धारा 42(3)(e) टेलीकॉम एक्ट एवं धारा 66(C)/66(D) आईटी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)-**

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गिरोह के सदस्य फर्जी/कूटरचित ई-केवाईसी के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर सिम कार्ड एक्टिवेट कराते थे। गिरोह के सदस्य समूहों में लोन लेने वाली महिलाओं को केवाईसी अपडेट कराने के बहाने उनकी जानकारी के बिना ई-केवाईसी के आधार पर सिम कार्ड एक्टिवेट कराते थे।

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गिरोह के सदस्यों के नाम पर पीओएस आईडी बनवाकर तथा गिरोह के सदस्य **अभियुक्त विक्रान्त सिंह, दीपक कुमार एवं संजय साहू** की सहायता से अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड एक्टिवेट कराये जाते थे।

पूछताछ से यह भी प्रकाश में आया कि **अभियुक्त राहुल यादव गिरोह को ऑपरेट करता** था तथा अभियुक्त विक्रान्त सिंह, दीपक कुमार एवं संजय साहू की सहायता से फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराये गये सिमकार्ड प्राप्त कर उन्हें हरियाणा सहित अन्य राज्यों के साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था। अभियुक्त के अनुसार इस प्रकार लगभग 400-500 सिम कार्ड एक्टिवेट कराये गये।

पूछताछ एवं प्रारम्भिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि गिरोह द्वारा इस प्रकार एक्टिवेट कराये गये सिमकार्ड का उपयोग कई राज्यों में साइबर अपराधों में किया गया है। सिमकार्ड के उपयोग, उनसे जुड़े व्यक्तियों तथा साइबर अपराधों में उनकी भूमिका के संबंध में पुलिस द्वारा तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है। मु0अ0सं0-10/2026 व 11/2026 से संबंधित अभियुक्त विक्रान्त सिंह एवं दीपक कुमार एवं मु0अ0सं0-258/2026 (थाना सुमेरपुर) अभियुक्त संजय साहू को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड पर जिला कारागार हमीरपुर में निरुद्ध हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

राहुल यादव पुत्र बीर सिंह, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर, हाल पता तहसील गेट (चुंगी) के पास, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

**गिरफ्तारी का स्थान-**

थाना कोतवाली नगर, हमीरपुर।

**बरामदगी का विवरण-**

37 अदद सिम कार्ड

02 अदद मोबाइल फोन

₹600/- नकद

**पुलिस टीम-**

निरीक्षक अमित कुमार (प्रभारी थाना साइबर क्राइम)

निरीक्षक भरत कुमार (थाना साइबर क्राइम)

उ0नि0 सचिन शर्मा (एस0ओ0जी0 प्रभारी)

उ0नि0 कृष्णदेव त्रिपाठी (सर्विलांस प्रभारी)

उ0नि0 अजीत सिंह (साइबर सेल प्रभारी)

हे0का0 कमलकान्त यादव (थाना साइबर क्राइम)

का0 चन्द्रभवन दिवाकर (साइबर सेल)

का0 प्रवीण यादव (थाना साइबर क्राइम)

का0 अमित मिश्रा (थाना साइबर क्राइम)